

## ECI ने रयथू बंधु योजना संवतिरण रद्द किया

### प्रलिस के लयि:

[आदरश आचार संहति](#), [भारतीय नरिवाचन आयोग](#), रयथू बंधु योजना, [PM कसिन सममान नधि](#)

### मेन्स के लयि:

आदरश आचार संहति के वकिस में भारतीय नरिवाचन आयोग की भूमकि, आदरश आचार संहति - चुनावों में महत्त्व और इसकी आलोचना

[स्रोत इंडयिन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

[भारतीय नरिवाचन आयोग](#) (Election Commission of India- ECI) ने तेलंगाना की रयथू बंधु योजना के तहत धन के वतिरण के लयि अपने पछिले 'नो ऑब्जेक्शन' को रद्द कर दिया है।

- यह कदम [आदरश आचार संहति](#) (Model Code of Conduct- MCC) के उल्लंघन के आरोपों के बीच उठाया गया है।

## ECI ने रयथू बंधु संवतिरण को रद्द क्यों कर दिया?

- ECI ने अन्य मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की तरह MCC अवधि के दौरान रयथू बंधु संवतिरण के लयि 'नो ऑब्जेक्शन' की मंजूरी इस शर्त पर दी कि इसे राजनीतिक लाभ हेतु प्रकाशति नहीं कयि जाएगा और भुगतान मतदान कतिारीख से 48 घंटे पहले की संवतिरण अवधि के दौरान नहीं कयि जाएगा।
- [पीएम कसिन सममान नधि](#) के समान इस योजना का उद्देश्य [कसिनों की सहायता](#) करना था और सरकार को कुछ दशा-नरिदेशों के तहत अनुमति मलि।
- चुनाव के दौरान रयथू बंधु योजना के तहत धन जारी करने का प्रचार करने वाले तेलंगाना के एक मंत्री के भाषण को MCC का उल्लंघन पाया गया और ECI ने इसे रद्द कर दिया।
- नरिवाचन आयोग का आदेश MCC के दौरान रयथू बंधु संवतिरण की अनुमतिको तत्काल वापस लेने का नरिदेश देता है।
- अब जब तक तेलंगाना में MCC बंद नहीं हो जाती तब तक संवतिरण रोक दिया गया है, जिससे संभावति रूप से कसिनों की वतितीय सहायता प्रभावति होगी।

## रयथू बंधु योजना:

- यह तेलंगाना सरकार की एक पहल है जो [कसिनों को कृषि और बागवानी फसलों के लयि नविश सहायता](#) प्रदान करती है।
- इसका उद्देश्य [कसिनों के करज़ के बोझ को कम करना](#) है। योजना के अनुसार, प्रत्येक कसिन को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों की खरीद और अन्य आवश्यकताओं के लयि प्रत्येक सीज़न में 5,000 रुपए प्रती एकड़ का [प्रत्येक लाभ अंतरण \(DBT\)](#) मलिता है।
- वर्ष 2018 में 50.25 लाख कसिनों के साथ शुरुआत के साथ आज रयथू बंधु लाभार्थियों की संख्या 70 लाख हो गई है।

## ECI की आदरश आचार संहति (MCC) क्या है?

- परचिय:
  - MCC, ECI द्वारा जारी दशा-नरिदेशों का एक समूह है, जो [संवधान के अनुच्छेद 324](#) के अनुरूप चुनाव से पहले पार्टियों और उम्मीदवारों

को नरियंत्रति करता है।

○ यह चुनाव आयोग को **संसद** और **राज्य विधानमंडलों** में **नषिपक्ष चुनावों** की नगिरानी सुनश्चिति करने का अधिकार देता है।

● यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर परणाम घोषति होने तक सक्रयि रहता है।

#### ■ राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लयि MCC:

##### ○ सामान्य आचरण:

- पार्टयों और उम्मीदवारों को ऐसी गतविधियों से बचना चाहयि जो वभिनिन जातयों, समुदायों, धारमकि या भाषायी समूहों के बीच **आपसी नफरत या तनाव** उत्पन्न करती हैं।
- अन्य दलों की **आलोचना** व्यक्तगित पहलुओं से बचते हुए **नीतयों, पछिले रकिॉर्ड और काम तक ही सीमति** होनी चाहयि।
- **वोट के लयि जात या सांप्रदायकि भावनाओं की अपील** करना परतबिंधति है।
- पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लयि नहीं कयिा जाना चाहयि।

##### ○ सत्तारूढ पार्टी:

- MCC ने वर्ष 1979 में सत्तारूढ पार्टी के आचरण को वनियिमति करने के लयि कुछ परतबिंध शामिल कयि।
- मंत्रयों को **आधिकारकि दौरों को चुनाव कार्य** के साथ नहीं जोड़ना चाहयि या इसके लयि आधिकारकि मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहयि।
- मंत्रयों तथा अधिकारयों को चुनाव की घोषणा के बाद **भुगतान देने**, वतिलीय अनुदान की घोषणा करने, शलान्यास, परयोजनाओं का वादा करने, तदर्थ नयिकृतयों करने अथवा **सत्तारूढ पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावति करने से बचना चाहयि**।
- दल को चुनावों में जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लयि **सार्वजनकि राजकोष की लागत से वजिजापन जारी करने** अथवा उपलब्धयों के प्रचार के लयि आधिकारकि जन संचार माध्यमों का उपयोग करने से बचना चाहयि।
- केंद्र अथवा राज्य सरकार के मंत्रयों को **उम्मीदवार, मतदाता अथवा अधिकृत एजेंट के रूप में** अपनी क्षमता के अलावा **मतदान केंद्रों** अथवा मतगणना स्थलों में **प्रवेश नहीं करना चाहयि**।

##### ○ नरिवाचन घोषणापत्र:

- EC1 का नरिदेश है कि राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों को कसिी भी चुनाव (संसद/राज्य विधानमंडल) के लयि नरिवाचन घोषणापत्र जारी करते समय नमिनलखिति दशिा-नरिदेशों का पालन करना चाहयि:
  - घोषणापत्रों को संवधान तथा MCC के अनुरूप होना चाहयि।
  - ऐसे वादों से बचें जो मतदाताओं को अनुचति रूप से प्रभावति कर सकते हैं।
  - घोषणापत्र में तर्क एवं वतिलीय परामर्श परतबिंधति होने चाहयि।
- एकल चरण नरिवाचन की दशा में **लोक परतनिधितिव अधनियिम (RPA), 1951 की धारा 126** के अंतर्गत यथा-वहिति **नषिधात्मक अवधकि दौरान घोषणा पत्र जारी नहीं कयिा जायगा**।

##### ○ बैठक (सभा):

- दल अथवा अभयर्थी कसिी भी **प्रस्तावति बैठक के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलसि प्राधिकारयों को समय रहते सूचति करेंगे** ताकि पुलसि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर सके।

##### ○ जलूस:

- **यददिो या दो से अधिकि दल के अभयर्थी एक ही मार्ग पर जलूस की योजना बनाते हैं**, तो राजनीतिक दलों को यह सुनश्चिति करने के लयि पहले से संपर्क स्थापति करना होगा कि **जलूस में टकराव न हो**।
- अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों का परतनिधितिव करने वाले **पुतले ले जाना तथा उन्हें जलाने की अनुमति नहीं है**।

##### ○ मतदान के दनि:

- केवल मतदाताओं तथा नरिवाचन आयोग के वैध पास वाले लोगों को ही मतदान केंद्रों में प्रवेश की अनुमति है।
- मतदान केंद्रों पर सभी **अधिकृत पार्टी कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बैज या पहचान पत्र की आपूरत्तकी जानी चाहयि**।
  - उनके द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान परचयों सादे (सफेद) कागज़ पर होंगी और उनमें कोई प्रतीक, उम्मीदवार का नाम या पार्टी का नाम नहीं होगा।

##### ○ पर्यवेक्षक:

- चुनाव आयोग पर्यवेक्षकों की नयिकृत्त करेगा जनिके पास कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के संबंध में समस्याओं की रपिर्त्त कर सकता है।

#### ■ MCC की वैधता:

- हालाँकि MCC के पास कोई वैधानकि समर्थन नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इसके सख्त कार्यान्वयन के कारण पछिले दशक में इसे ताकत मली है।
- अन्य कानूनों, जैसे **भारतीय दंड संहति, 1860, दंड प्रकरयिा संहति, 1973** और **RPA 1951**, के अनुरूप कानूनों का उपयोग करके, MCC के कुछ प्रावधानों को लागू कयिा जा सकता है।
- कारमकि, लोक शकियात, कानून और न्याय पर स्थायी समति ने वर्ष 2013 में सुझाव दयिा कि **MCC** को RPA 1951 में शामिल कयिा जाए तथा इसे **कानूनी रूप से अनविर्य बनाया जाए**।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**[?][?][?][?][?][?][?][?]:**

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच सदस्यीय नकियाय है।

2. संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/वर्ग से संबंधित विवाद नपिटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

**??????:**

प्रश्न. आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (2022)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/eci-revokes-rythu-bandhu-scheme-disbursement>

